# राजस्थान–सरकार
## कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राज.
## "कर–भवन" अजमेर

क्रमांकःएफ–7(73)जन/2013/ 4869–5223 दिनांकः 12.03.13

समस्त उप पंजीयक गण,
राजस्थान।
(पूर्णकालीन एवं पदेन)

विषय : पुस्तक संख्या 4 में पंजीबद्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, जयपुर द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया है कि सम्पत्ति में हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा की प्रतिलिपि हेतु आवेदन करने पर संबंधित लिपिक/कर्मचारियों द्वारा यह कहते हुए आवेदन पत्र लेने से इन्कार कर दिया जाता है कि पंजीबद्ध मुख्त्यारनामा आम की प्रमाणित प्रतिलिपि केवल मुख्त्यारनामा आम निष्पादनकर्ता अथवा जिसके पक्ष में मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया है उनके द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा किसी अन्य को रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम की प्रतिलिपि लेने का अधिकार नहीं है।

इस संबंध में विधिक स्थिति स्पष्ट की जाती है कि पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा–57(3) सपठित राजस्थान पंजीयन नियम, 1955 खण्ड प्रथम के नियम–135 के अनुसार पुस्तक संख्या 4 में पंजीबद्ध दस्तावेजो की प्रतिलिपि निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति को या उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि को देने का प्रावधान है।

अतः भविष्य में उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत ही पुस्तक संख्या-4 में पंजीबद्ध दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि, निष्पादित करने वाले या उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति को नियमानुसार जारी करें।

भ व दी य,

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकःएफ–7(73)जन/2013/ 5224–37 दिनांकः 12.03.13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
2- अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
3- समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर